राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजन निदेशक(आत्मा),जि0जयपुर

पंचायत समिति परिसर झोटवाडा,जयपुर–302012

दरभाष :0141–2349083,2349084 E mail:pdjpr_atma@rediffmail.com

क्रमांकः आत्मा/कृ. पुर./2019–20/887 दिनांकः 11.07.2019

विज्ञप्ति

कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ कृषकों को राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तर पर चयन कर पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है। राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तरीय प्रत्येक पुरस्कार में क्रमशः 50,000.00, 25,000.00 एवं 10,000.00 रूपये तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस हेतु जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर गतिविधिवार "((1) कृषि (2) उद्यानिकी (3) पशुपालन (4) जैविक खेती (5) नवाचारी खेती)" एक–एक कृषक का चयन किया जायेगा। पंचायत समिति स्तर पर चयनित कृषकों में से 10 श्रेष्ठ कृषको (प्रत्येक गतिविधि हेतु 02 कृषक) को जिला स्तर पर चयनित किया जावेगा। जिला स्तर पर प्रथम स्तर के चयनित सर्वश्रेष्ठ कृषकों में से प्रत्येक गतिविधि हेतु 2–2 कृषकों (10 कृषक) का चयन किया जाना है। जिन कृषकों को पूर्व में आत्मा योजनान्तर्गत किसी भी स्तर के (पंचायत समिति, जिला एवं राज्य स्तर) पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, वे कृषक वर्ष 2019–20 के पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होंगें। इसके लिये आवेदन स्थानीय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत कर सकते है।

पुरस्कार हेतु कृषक द्वारा स्वयं अथवा निर्वाचित जन प्रतिनिधि/संस्था/विभाग/व्यक्ति, यदि किसी कृषक को उक्त सम्मान के योग्य समझता है, तो वह कृषक का नाम, कार्य का विवरण एवं अन्य जानकारियां देते हुए दिनांक 31 अगस्त, 2019 तक उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), जिला जयपुर को प्रस्तुत कर सकता है।

(रामकुंवार जाट)
उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक (आत्मा)
जिला जयपुर